रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937
No. 102] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016

का.आ. 118(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

केरल राज्य के क्रमशः पलाक्काड और मालापुरम जिलों के मन्नारकड और नीलांबुर तालुकों में 11°2′ तथा 11°13′ उत्तरी अक्षांश तथा 76°24′ तथा 76°32′ पूर्वी देशांतर के बीच साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है और 89.52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

और, रइयां कीटों का अभाव, जो कर्णपटह कंपन के माध्यम से वन में विशेष किस्म की ध्वनि उत्पन्न करता है और इनकी प्रायिकतः ऊष्ण कटीबंधीय वनों में प्रचुरता है जिनका संभवतया वनों को "साइलेंट वैली" के रुप में नाम देने में योगदान है ।

और, राष्ट्रीय पार्क में निमज्जन कगारों वाला तरंगी भूभाग है और एम.एस.एल से ऊपर 900 मी. से लेकर 2300 मी. तक की ऊंचाई वाली बहुत सी छोटी पहाड़ियां हैं और कुंथीपुजहा नदी के लिए आवाह क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जो भारथापुजहा नदी है और पलाकाड तथा मालापुरम जिलों में पीने का पानी तथा सिचाईं प्रयोजन का मुख्य स्त्रोत है ।

और, साइलेंट वैली का मुख्य क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के 5500 वर्ग कि.मी. का केन्द्र तथा क्रान्तिक भाग है और हाथी परियोजना, जो 1419 वर्ग मी. क्षेत्र में फैला हुआ है, के अधीन स्थापित निलांबर हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग भी है ।

और, राष्ट्रीय पार्क में विपुल पुष्प वनस्पति और प्राणिजात विविधता है जिसमें 430 जेनेरा में आवृत्त बीजी प्रजातियों में से लगभग 966 प्रजातियां और डाइकोर्ट की 33 परिवार हैं जिनमें आर्चिडस की 108 प्रजातियां तथा 139 जेनेरा तथा मोनोकोटस के 21 परिवार लाइकेन्स की 77 प्रजातियां और पिटेरिडो फाइटस की 77 प्रजातियां उद्यान से रिपोर्ट की गई हैं ।

और, रिकार्ड की गई प्राणिजात विविधता में स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, 15 पश्चिमी घाट देशजों सहित पक्षियों की 211 प्रजातियां, सरीसपों की 42 प्रजातियां, उभयचरों की 146 प्रजातियां, ताजा जल मछलियों की 12 प्रजातियां, तितलियों की 92 प्रजातियां और पतंगों की 250 प्रजातियां हैं ।

और, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सीमा से 9 किलोमीटर के विस्तारित क्षेत्र को, तमिलनाडु राज्य की सीमा के साथ जुडे हुए हिस्से को छोडकर, केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सीमा से 9 किलोमीटर तक है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी-पूर्वोत्तर दिशा में तमिलनाडु राज्य की सीमा को विभाजित करने वाला हिस्सा नहीं है और सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है ।

(2) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में 148 कि.मी. के भौगेलिक क्षेत्र आता है जिसमें निहित वन और ग्यारह राजस्व ग्राम भी हैं तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आना वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न हैं ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप तैयार किया जाएगा ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) उक्त महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) आंचलिक महायोजना के उपबंधों के पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 16, 21, 27, 33 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(क) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह ;

(ख) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा सुदृढ़ बनाना ;

(ग) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(घ) वर्षा जल संचयन; और

(ङ.) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, केरल सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ; और

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन तथा तद्वीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां-** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में होगी ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे ।
(10)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण जिसमें वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्र और वातित जल, कूपी भरण संयंत्र भी है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं होगा । (ख) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के

		लिए ही जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्त्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(11)	नदी और भू-क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों/प्लास्टिक अपशिष्टों/रासायनिक अपशिष्टों का फटन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(12)	वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण और अवैज्ञानिक मत्स्य ग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) तथापि, जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात होगा ।
(13)	नदी के किनारों का अतिक्रमण और नदी के किनारे वनस्पति का विनाश।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(14)	नदी के पत्थरों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(15)	विस्फोटक मदों का विनिर्माण और भंडारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(16)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नया वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरुप होंगे ।
(17)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ; (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे; (ग) एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञात होगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
(18)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का

		अनुसरण किया जाएगा।
(19)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना ।
(20)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(22)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	वाणिज्यिक उद्देय के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	प्राकृतिक जलाश्यों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण ।	उपचारित बहिस्राव की रिसाइकिलिंग प्रोत्साहित की जाएगी और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए विद्यमान विनियमों का अनुसरण किया जाएगा ।
(26)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते है और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(28)	वन उत्पादों या गैर-काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	दुकानदारों द्वारा पोलीथिन थैंलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(32)	स्थानीय समुदायों द्वारा किए जा रहे कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(33)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. जिला कलक्टर, पालाक्कड - अध्यक्ष ;

ii. जिला कलक्टर, मालापुरम का प्रतिनिधि - सदस्य ;

iii. विधान सभा सदस्य, मन्नारकड़ - सदस्य ;

(केरल सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ केरल विधानसभा अध्यक्ष से अनुज्ञा यदि अपेक्षित हो सहित, सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन)

iv. विधान सभा सदस्य, वेन्दूर - सदस्य ;

(केरल सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ केरल विधानसभा अध्यक्ष से अनुज्ञा यदि अपेक्षित हो सहित, सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन)

v. अध्यक्ष, जिला पंचायत, पालाक्कड - सदस्य ;

vi. अध्यक्ष, जिला पंचायत, मालापुरम - सदस्य ;

vii. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

viii. केरल सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

ix. केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि, जिला अधिकारी- सदस्य ;

x. संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक)- सदस्य ;

xi. वन्य जीव संरक्षक, साइलैंट वैली प्रभाग - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/102/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर और पूर्व	अनगीनडा (2383 मी) से, यह अंतर-राज्य सीमा के साथ भवानी नदी के ऊपर से जाती है, इसके बाद भवानी नदी के बाई तट के साथ दक्षिण में नदी बिंदु तक मुक्काली में पूर्व की ओर मुड़ती है, इसके बाद दक्षिण की ओर यह मुक्काली, वन चेक पोस्ट में मन्नारक्कड़-चीन्नाथादकम सड़क तक पहुँचती है, वहाँ से मुक्काली में सड़क के साथ मांदामपोट्टीथोड्ड के ऊपर निजी भूमि और पर्यावास लगभग 50 हे. क्षेत्र में वर्जित है । (उ 76 ^{0} 53'30.36" पू 11^{0}09'26.96" और उ 76^{0}54'35.53 पू 11^{0}05'75.93")
दक्षिण	मांदामपोट्टीथोड्ड से अट्टापडी वन क्षेणी की दक्षिण सीमा से ऊपर मन्नारक्कड पर्वतक्षेणी की थाथेनगलम निहित वनों की उत्तर पूर्वी सीमा (वीएफसी-1) के साथ पश्चिम की ओर जाती है । इसके बाद थाथेनगलम निहित वनों (वीएफसी -1) की उत्तर-पूर्वी सीमा से, यह थाथेनगलम निहित वनों (वीएफसी -1) की दक्षिण पूर्वी सीमा जब तक पहुँचती है तो दक्षिणी सीमा की अनुगमन करती है, वहाँ से वीएफसी -1,18,17 और 92) की दक्षिण सीमाओं के साथ यह पालाक्कड-मालापुरम जिला सीमा तक पहुँचती है) ।
पश्चिम	पालाक्कड़ में बिंदु के ऊपर से मालापुरम जिला सीमा उत्तर की ओर निहित वनों की पश्चिमी सीमाओं के टुकड़े चेरुमना मालावरम (वी.एफ.सी-15 (1) और 15(2) , कन्नौथ मालावरम (वी.एफ.सी -2) और कोजहीपारा (वी.एफ.सी -10) के साथ इकाई कोट्टापुजहा के उत्तर पश्चिम कोण (उ 76^{0}39'25.84" पू 11^{0}23'04.02" और उ 76^{0}42'09.70" पू 11^{0}22'29.44") में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र की निजी भूमि कोटापुजहा नदी तक पहुचती है ।
उत्तर	वहाँ से कोटापुजहा नदी के बाई तट के साथ पूर्व की ओर तक यह अंततः केरल और तमिलनाडु की अंतर-राज्य सीमा में मिलती है; इसके बाद अंतर-राज्य सीमा के साथ यह अनगीनजा शिखर (2383 मी.) तक पहुँचती है ।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांशो और देशांतरो का मानचित्र

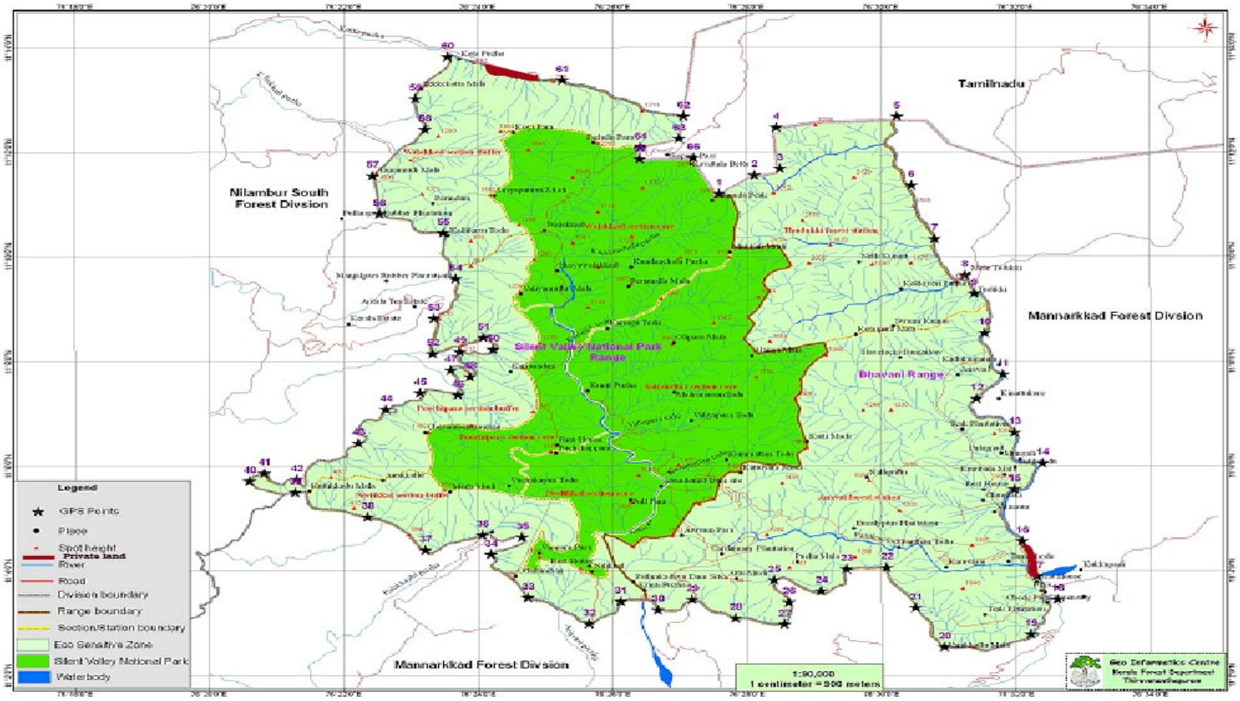

आई डी न.	नाम	अक्षांश	देशान्तर
1	अनगिन्दा	76.459917	11.186825
2	येम्मारी पुजहा	76.468568	11.192667
3	येम्मारी पुजहा	76.474939	11.194819
4	बुथीनराई बेत्ता	76.474008	11.207912
5	भवानी नदी	76.503962	11.211386
6	भवानी नदी	76.507443	11.189449
7	मेलेथुदुक्की	76.513246	11.172369
8	थुदुक्की	76.520755	11.160834
9	थुदुक्की	76.523057	11.154978
10	भवानी नदी	76.525585	11.142433

आई डी न.	नाम	अक्षांश	देशान्तर
11	कदुकुमाना दक्षिण	76.530251	11.129281
12	भवानी नदी	76.523601	11.121539
13	भवानी नदी	76.532993	11.110780
14	थदीकुन्दु	76.539860	11.100952
15	भवानी नदी	76.533036	11.092696
16	छिन्दाक्की	76.534821	11.076149
17	मुक्काली	76.538536	11.064872
18	मन्तामपोट्टी	76.543553	11.057593
19	मन्तामपोट्टी	76.537008	11.046484
20	वराकाल्लु माला	76.515511	11.042401
21	वराकाल्लु माला	76.508501	11.054914
22	वराकाल्लु माला	76.501287	11.067742
23	वराकाल्लु माला	76.491286	11.067251
24	थाथेनगालम टॉप	76.485040	11.060323
25	पोचामाला दक्षिण	76.473380	11.063706
26	थाथेनगालम टॉप	76.477012	11.056759
27	थाथेनगालम टॉप	76.475943	11.049646
28	अत्तुमुदी दक्षिण	76.463846	11.051685
29	अत्तुमुदी दक्षिण	76.453042	11.057610
30	पथराकदावु दक्षिण	76.444613	11.054293
31	पथराकदावु दक्षिण	76.435408	11.056922
32	पोथुवापादम	76.427567	11.049847
33	पोथुवापादम	76.412330	11.058201
34	ओत्ताकुमबान	76.403165	11.071942
35	वानमप्पारा	76.410909	11.077429
36	पालकीजहीपुजहा	76.401123	11.078203
37	300 एकड़	76.386995	11.073336
38	कोराती माला	76.372696	11.083972
39	कुट्टीकादु माला	76.354676	11.091796
40	उप्पुकुलाम	76.343429	11.095346
41	कुन्दोदा	76.347004	11.095346
42	कन्नामपल्ली	76.355135	11.095940
43	कन्नामपल्ली	76.370380	11.107485

आई डी न.	नाम	अक्षांश	देशान्तर
44	कन्नामपल्ली	76.377221	11.118128
45	मंजालामचोला	76.385664	11.123435
46	मंजालामचोला	76.395081	11.122793
47	मंजालामचोला	76.393301	11.130708
48	मंजालामचोला	76.398001	11.128601
49	मनीलीयामपादम	76.395544	11.136565
50	मनीलीयामपादम	76.403803	11.137237
51	मनीलीयामपादम	76.401370	11.140970
52	मनीलीयामपादम	76.388773	11.135931
53	अरथाला	76.389124	11.147069
54	अत्ती	76.394509	11.159679
55	कालीकावु थोदु	76.391509	11.173163
56	पुल्लेनगोदे	76.375564	11.180323
57	ताइनामुदी माला	76.373863	11.192554
58	तिरुर स्टेट	76.386883	11.207265
59	थेक्कोट्टा माला	76.384642	11.217036
60	कोत्तापुजहा	76.392584	11.230402
61	कोत्तापुजहा	76.420970	11.222944
62	कोत्तापुजहा अंतरराज्यीय सीमा	76.451075	11.211506
63	अंतरराज्यीय सीमा	76.449999	11.204338
64	सिसपारा	76.440345	11.201596
65	सिसपारा	76.440112	11.197819
66	कोविट्टोला बेत्ता (छेरिया अनगिन्दा)	76.453440	11.198238

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में गांवों और निहित वनों की सूची

क्र. सं.	जिला	तालुक	गांव	स्थिति (आंशिक / पूर्ण)
1	पालाक्कड	मन्नारक्कड	कल्लामाला	आंशिक
2	पालाक्कड	मन्नारक्कड	पदावायाल	आंशिक
3	पालाक्कड	मन्नारक्कड	पालकायाम	आंशिक
4	पालाक्कड	मन्नारक्कड	मन्नारक्कड	आंशिक
5	पालाक्कड	मन्नारक्कड	अल्लानाल्लुर	आंशिक

6	पालाक्कड	मन्नारक्कड	कोट्टोपादम I	आंशिक
7	पालाक्कड	मन्नारक्कड	कोट्टोपादम III	आंशिक
8	मालापपुरम	नीलाम्बुर	करुवाराकुन्दु	आंशिक
9	मालापपुरम	नीलाम्बुर	केरला स्टेट	आंशिक
10	मालापपुरम	नीलाम्बुर	चोक्कड	आंशिक
11	मालापपुरम	नीलाम्बुर	कालीकावु	आंशिक

सुरक्षित वन का नाम	**तालुक**	**विस्तार (हेक्टे)**	**टिप्पणियां**
अट्टाप्पदी	वालवानाद	64.86	अट्टाप्पदी गांव में अट्टाप्पदी घाटी वन
निहित वन नाम	**वी.एफ.सी आइटम न.**	**विस्तार (हेक्टे)**	**से सौंप दिया**
मुक्काली – वेनगामाला मालावरम	20	1200 (भाग)	मन्नारक्कड विभाग
करुवारा – छिनदाक्की मालावरम	102	875	
थाथानगालम मालावरम	1	839	
केलालुर मालावरम	17	560	मन्नारक्कड विभाग
पोथुवापादम मालावरम	18	680	
उप्पुकुलम मालावरम	92	630.25	
कन्नोथ मालावरम	2	1541.25	निलाम्बुर दक्षिण
छेरुम्बा मालावरम	15/1	600.47	
छेरुम्बा मालावरम	15/2	161.85	
कोजहीपरा मालावरम	10	1735	

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सद्दश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2016

S.O. 118(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Silent Valley National Park is situated between the North latitudes 11°2' and 11°13' and the East longitudes 76°24' and 76°32' in Mannarkkad and Nilambur Taluks of Palakkad and Malapurram Districts, respectively, in the State of Kerala and is spread over an area of 89.52 square kilometres;

AND WHEREAS, the absence of Cicada insects, which produce typical sound in the forest through their tympanal vibrations and are usually abundant in tropical forests possibly contributed to the naming of the forests as "Silent Valley";

AND WHEREAS, the National Park has undulating terrain with steep escarpments and many hillocks with elevation ranging from 900 m. to 2,300 metres above MSL and serve as catchment for River Kunthipuzha, which is the tributary of Bharathapuzha, a major source of water for drinking and irrigation purposes in the Districts of Palakkad and Malappuram;

AND WHEREAS, the core area of Silent Valley National Park is central and critical part of 5500 square kilometre of core area of Niligiri Biosphere Reserve and also forms an integral part of Nilambur Elephant Reserve constituted under the project elephant spread over an area of 1419 square kilometres;

AND WHEREAS**,** the National Park has rich floral and faunal diversity, with about 966 species of angiosperm species in 430 genera and 33 families of dicots including 108 species of orchids and 139 genera and 21 families of monocots, about 77 species of lichens and 77 species of pteridophytes have been reported from the Park;

AND WHEREAS, the recorded faunal diversity consists of 41 species of mammals, 211 species of birds including 15 Western Ghat endemics, 42 species of reptiles, 46 species of amphibians, 12 species of freshwater fish, 92 species of butterflies and 250 species of moths;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Silent Valley National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 9 kilometres from the boundary of Silent Valley National Park in the State of Kerala as the Silent Valley National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) excluding the portion sharing boundary with the State of Tamil Nadu details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-Sensitive Zone is up to 9 kilometres from the boundary of Salient Valley National Park in the State of Kerala excluding the portion sharing boundary with the State of Tamil Nadu on the north-north eastern side of the National Park and the description of the boundary are appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**

(3) The Eco-sensitive Zone covers a geographical area of 148 square kilometres which includes vested forests and eleven revenue villages and the list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix Irrigation;

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 16, 21, 27, 33 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forest, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone. (b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Dumping of solid wastes/plastic wastes /chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Commercial Fishing and unscientific fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, permitted for bonafide use of tribals.
13.	Encroachment of river banks and destruction of river bank vegetation.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Collection of river stones.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
16.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that beyond one kilometre and upto the extent of Eco-sensitive Zone all new tourism activities and expansion of the existing activities would in conformity of tourism master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines
17.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre and upto extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
24.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
25.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
26.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
29.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
30.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated under applicable laws.
31.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The District Collector, Palakkad - Chairman;

(ii) Representative of District Collector, Malappuram – Member;

(ii) The Member of Legislative Assembly, Mannarkkad – Member;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(iii) The Member of Legislative Assembly, Wandoor – Member;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(iv) President, District Panchayat, Palakkad – Member;

(v) President, District Panchayat, Malappuram – Member;

(vi) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case – Member;

(vii) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case – Member;

(viii) Representative of Kerala Pollution Control Board, District Officer - Member;

(ix) Concerned Divisional Forest Officer (Territorial) – Member;

(x) The Wildlife Warden, Silent Valley Division - Member-Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per the proforma given in **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/102/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

NORTH AND EAST	From Anginda(2383 M), it runs along interstate boundary upto Bhavani river, then South along the left bank of Bhavani river till the point the river takes eastward turn at Mukkali , then towards South till it reaches Mannarkkad- Chinnathadakam road at Forest Check Post, Mukkali, thence along the road upto Mandampottithodu excluding the private lands and habitation of approximatley 50 Ha area at Mukkali (N 76 ^{0} 53´ 30.36″ E 11^{0}09´26.96″ and N 76^{0}54´35.53 E 11^{0}05´75.93″)
SOUTH	From Mandampottithodu towards west along southern boundary of Attapady forest range up to North Eastern Boundary of Thathengalam Vested Forests (VFC-1) of Mannarkkad Range. Then from North- Eastern boundary of Thanthenglam Vested Forests (VFC-1) It follows the southern boundary till it reaches the south Eastern boundary of Thathengalam Vested Forests (VFC-1) thence along the southern boundaries of VFC-1,18,17 and 92) till it reaches Palakkad – Malappuram District boundary).
WEST	From the above point in Palakkad – Malappuram district boundary towards North all along the Western boundaries of the vested forests bits Cherumba Malavaram (VFC-15(1) and 15(2), Kannoth Malavaram (VFC-2) and Kozhipara (VFC-10) unit till reaches the Kotapuzha river- excluding approximatly an area of 50 Ha private land at Kottapuzha lying the north west corner(N 76^{0}39´25.84″ E 11^{0}23´04.02″ and N 76^{0}42´09.70″ E 11^{0}22´29.44″)
NORTH	Thence towards east along the left bank of Kotapuzha river till it finally joins the interstate boundary of Kerala and Tamil Nadu, then along the interstate boundary till it reaches Anginda Peak (2383 M).

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

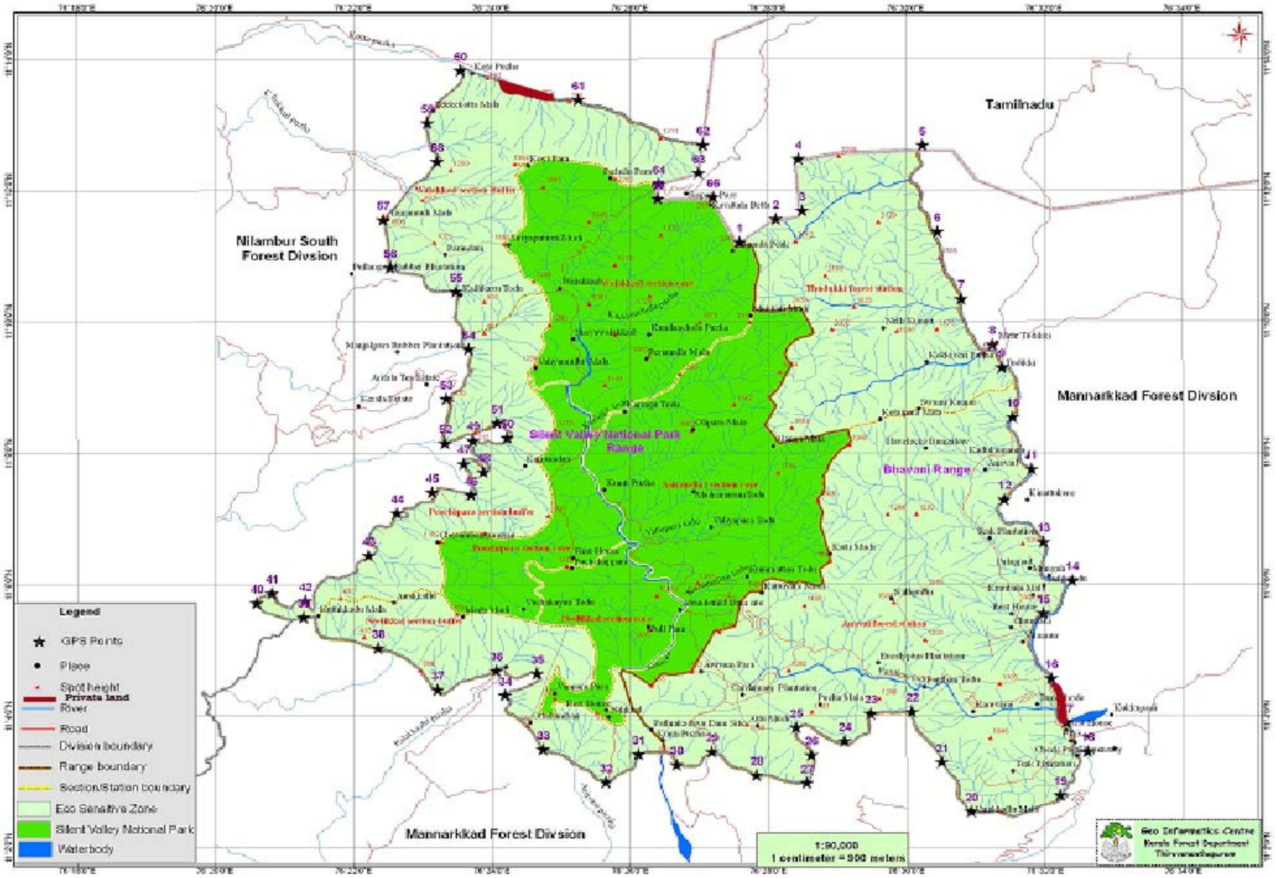

ID No.	Name	Latitude	Longitude
1	Anginda	76.459917	11.186825
2	Yemmari Puzha	76.468568	11.192667
3	Yemmari Puzha	76.474939	11.194819
4	Buthinrai Betta	76.474008	11.207912
5	Bhavani River	76.503962	11.211386
6	Bhavani River	76.507443	11.189449
7	Melethudukki	76.513246	11.172369
8	Thudukki	76.520755	11.160834
9	Thudukki	76.523057	11.154978
10	Bhavani River	76.525585	11.142433
11	Kadukumana south	76.530251	11.129281
12	Bhavani River	76.523601	11.121539
13	Bhavani River	76.532993	11.110780

ID No.	Name	Latitude	Longitude
14	Thadikundu	76.539860	11.100952
15	Bhavani River	76.533036	11.092696
16	Chindakki	76.534821	11.076149
17	Mukkali	76.538536	11.064872
18	Mantampotti	76.543553	11.057593
19	Mantampotti	76.537008	11.046484
20	Varakallu Mala	76.515511	11.042401
21	Varakallu Mala	76.508501	11.054914
22	Varakallu Mala	76.501287	11.067742
23	Varakallu Mala	76.491286	11.067251
24	Thatengalam Top	76.485040	11.060323
25	Pochamala South	76.473380	11.063706
26	Thathengalam Top	76.477012	11.056759
27	Thathengalam Top	76.475943	11.049646
28	Attumudi South	76.463846	11.051685
29	Attumudi South	76.453042	11.057610
30	Pathrakadavu South	76.444613	11.054293
31	Pathrakadavu South	76.435408	11.056922
32	Pothuvapadam	76.427567	11.049847
33	Pothuvapadam	76.412330	11.058201
34	Ottakumban	76.403165	11.071942
35	Vanamppara	76.410909	11.077429
36	Palakizhipuzha	76.401123	11.078203
37	300 Acre	76.386995	11.073336
38	Korati Mala	76.372696	11.083972
39	Kuttikadu Mala	76.354676	11.091796
40	Uppukulam	76.343429	11.095346
41	Kundoda	76.347004	11.095346
42	Kannampalli	76.355135	11.095940
43	Kannampalli	76.370380	11.107485
44	Kannampalli	76.377221	11.118128
45	Manjalamchola	76.385664	11.123435
46	Manjalamchola	76.395081	11.122793
47	Manjalamchola	76.393301	11.130708
48	Manjalamchola	76.398001	11.128601
49	Maniliampadam	76.395544	11.136565
50	Maniliampadam	76.403803	11.137237
51	Maniliampadam	76.401370	11.140970
52	Maniliampadam	76.388773	11.135931
53	Arthala	76.389124	11.147069
54	Atti	76.394509	11.159679
55	Kalikavu Thodu	76.391509	11.173163
56	Pullengode	76.375564	11.180323
57	Tainamudi Mala	76.373863	11.192554

ID No.	Name	Latitude	Longitude
58	Tirur Estate	76.386883	11.207265
59	Thekekotta Mala	76.384642	11.217036
60	Kottapuzha	76.392584	11.230402
61	Kottapuzha	76.420970	11.222944
62	Kottapuzha- Interstate boundary	76.451075	11.211506
63	Interstate boundary	76.449999	11.204338
64	Sispara	76.440345	11.201596
65	Sispara	76.440112	11.197819
66	Kovittola Betta (Cheriya Anginda)	76.453440	11.198238

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES AND VESTED FORESTS IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl.No	District	Taluk	Village	Status (Partial/Full)
1	Palakkad	Mannarkkad	Kallamala	Partial
2	Palakkad	Mannarkkad	Padavayal	Partial
3	Palakkad	Mannarkkad	Palakayam	Partial
4	Palakkad	Mannarkkad	Mannarkkad	Partial
5	Palakkad	Mannarkkad	Allanallur	Partial
6	Palakkad	Mannarkkad	Kottopadam I	Partial
7	Palakkad	Mannarkkad	Kottopadam III	Partial
8	Malappuram	Nilambur	Karuvarakundu	Partial
9	Malappuram	Nilambur	Kerala Estate	Partial
10	Malappuram	Nilambur	Chokkad	Partial
11	Malappuram	Nilambur	Kalikavu	Partial

Name of Reserved Forests	Taluk	Extent (ha)	Remarks
Attappady	Valavanad	64.86	Attappady Valley Forests in Attappady Village
Name of Vested Forests	**VFC Item No.**	**Extent (Ha)**	**Handed over from**
Mukkali – Vengamala Malavaram	20	1200 (part)	Mannarkkad Division
Karuvara – Chindakki Malavaram	102	875	
Thathengalam Malavaram	1	839	
Kelaloor Malavaram	17	560	Mannarkkad Division
Pothuvapadam Malavaram	18	680	
Uppukulam Malavaram	92	630.25	
Kannoth Malavaram	2	1541.25	Nilambur South Division
Cherumba Malavaram	15/1	600.47	
Cherumba Malavaram	15/2	161.85	
Kozhipra Malavaram	10	1735	

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.